FAX

संख्या– 3889/1–7–2007–100/2003

प्रेषक,

पंकज अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग।

FAX passed to All DMS of U.P. alongwith G.O. No. 3364/… dt. 27/12/07

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2007

विषयः बकायेदार कृषकों की कृषि भूमि की नीलामी के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या–623/1–7/2004–राजस्व–7, दिनांक 28 मार्च, 2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा रूपया 1.00 लाख से कम के बकायेदारों के विरूद्ध अनावश्यक उत्पीड़न की कार्यवाही न किये जाने के आदेश निर्गत किये थे।

2. कृषकों की भूमि की नीलामी के प्रति शासन संवेदनशील है। नीलामी कार्यवाही से छोटे कृषक भूमिहीन न हों और बड़े कृषकों की भूमि नीलाम करते समय बकाये की सीमा तक ही भूमि की नीलामी की जाय।

3. अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि वसूली हेतु प्राप्त वसूली प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही की जायः–

1. मुख्य देयों की वसूली के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय।
2. रूपये 1.00 लाख से अधिक धनराशि की वसूली की कार्यवाही करते समय यदि भूमि की नीलामी आवश्यक हो तो निम्नवत प्रक्रिया अपनायी जायः–

अ. 3.125 एकड़ अथवा उससे कम भूमि वाले कृषक की भूमि की नीलामी न की जाय।

ब. 3.125 एकड़ से अधिक भूमि के धारक बाकीदार कृषक की सम्पूर्ण भूमि नीलाम न की जाय, अपितु बकाया वसूल करने के उद्देश्य से भूमि के टुकड़े बनाकर बकाया अदा होने की सीमा तक, नीलामी की जाय, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कृषक के पास नीलामी के उपरान्त प्रत्येक दशा में 3.125 एकड़ भूमि उपलब्ध रह जाय।

स. नीलामी की स्वीकृति तभी प्रदान की जाय जब नीलामी बोली की धनराशि बाजार भाव अथवा उससे अधिक हो।

द. बाकीदार कृषक की भूमि नीलाम करने से पूर्व उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा–279 में वर्णित उपस्थिति पत्र, गिरफ्तारी अधिपत्र, चल सम्पत्ति की नीलामी आदि की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

य. अनुसूचित जाति/जनजाति के बाकीदार कृषक की भूमि नीलाम करते समय उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा—157कक तथा 157खख के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. 1.00 लाख से कम व उससे अधिक के वसूली प्रमाण पत्र के वर्गीकरण हेतु बाकीदार को दिये गये ऋण (मूलधन) की धनराशि को आधार बनाया जाय, और यदि बाकीदार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से एक से अधिक ऋण लिये गये हों तो उसके द्वारा ली गयी समस्त ऋण (मूलधन) धनराशि को जोड़कर आधार बनाया जाय।

5. प्राप्त होने वाले एवं वसूली हेतु लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष, भूमि की नीलामी के पूर्व अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाय, जिसमें सम्बन्धित ऋणदाता संस्था एवं सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे। यह समिति यह जांच करेंगी कि जो ऋण बाकीदार को दिया गया है उसको अदा न हो पाने के क्या कारण रहे हैं। समिति का यह भी समाधान होगा कि नीलामी की प्रक्रिया में उपर्युक्त प्रस्तर—3(2)द में वर्णित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

6. विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए समस्त वसूली प्रमाण पत्रों का कम्प्यूटरीकरण जिला संग्रह कार्यालय में कराया जाय एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलान करा लिया जाय।

7. तीन वर्ष से अधिक समय के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित ऋणदाता संस्था को मिलान हेतु वापस कर दिया जाय, ताकि बकाये की धनराशि के सम्बन्ध में कोई अस्पष्टता न रहे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी समस्त सम्बन्धित को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।